

फर्द अहकाम

( नियम 28 )

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

21/11/201 बनाम 354

किस्म मुकदमा :- 88/88 राज0 कारत0 अधि0 1955

प्रकरण संख्या 8 सन - 2000

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिहासका जज	हुकम इ लागू अहकाम जो हुकम की तादीक इ जारी हु
15.6.22	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिद नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इत्तजारी तलबी दिनांक 26.7.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</b> 26/7/22</p> <p>पीठासीन अधिकारी के अज अदालत म बाहर दौरे/अवकाश पर होने अथवा सामयिक कार्य में व्यस्त रहने का कारण पत्रावली को अदालत की पालना में दिनांक 20/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेशप्रनुसार 2 गैड</p>	<p>20-30 21/11/201</p>
25.8.21	<p>अधिवक्ता वादीने ज, पत्र वादिने अदालत को पेश किया। अदालत ने अदालत के अंतर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिद नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इत्तजारी तलबी दिनांक 26.7.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेशप्रनुसार 2 गैड</p>	

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

